राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

कमांक एफ.18(आई–3)आईडब्ल्युएमपी / निजभूस / 2011 / 5389- दिनांक 12-10-11
5702

–: कार्यालय आदेश :–

विभाग के आदेश कमांक एफ.18(आई–3)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2010–11 / 5730–6088 दिनांक 28.04.2010 एवं कमांक 4495–4794 दिनांक 04.08.2011 द्वारा जलग्रहण विकास दल के विभिन्न विषयों के सदस्यों के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं मासिक मानदेय के आदेश जारी किये गये थे। इन आदेशों में कृषि सदस्यों हेतु योग्यता स्नातकोत्तर, (कृषि / भृदा विज्ञान) या स्नातक (कृषि) निर्धारित की गयी है।

इस संबंध में विभिन्न जलग्रहण विकास दल संगठनों से कृषि सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता प्रदान करने के संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुए है। कृषि विभाग द्वारा कृषि पर्यवेक्षक हेतु शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेन्ड्री (कृषि) निर्धारित है। कामन गाईड लाईन में पेरा सं. 40 में योग्य एवं अनुभवी जलग्रहण विकास दल के सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता में राज्यस्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा छूट का प्रावधान है।

उपरोक्त आधार पर पूर्व की जलग्रहण परियोजनाओं में कार्यरत रहे सीनियर सेकेन्ड्री (कृषि) योग्यता धारक कृषि सदस्यों को आईडब्ल्यूएमपी योजनान्तर्गत जलग्रहण विकास दल में कृषि सदस्यों की रिक्तियों के विरूद्ध चयन की शिथिलता प्रदान कर चयन की छूट प्रदान की जाती है।

उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता में छूट केवल पूर्व की जलग्रहण योजनाओं में कार्यरत रहे कृषि सदस्यों पर ही लागू रहेगी। नवीन कृषि सदस्यों का चयन विभाग के आदेश कमांक 5730–6088 दिनांक 28.04.2010 में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ही किया जावेगा।

विभाग के पत्र कमांक एफ.18(आई–3)निजभूस / आईडब्ल्यूएमपी / 2011 / 3958 दिनांक 31.05..2011 द्वारा जलग्रहण विकास दल के विभिन्न विषयों के सदस्यों की रिक्तियों को भरने हेतु लगाई गयी रोक के सम्बन्ध में पृथक से आदेश प्रसारित किये जावेंगे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
एस.एल.एन.ए. एवं निदेशक

कमांक : एफ.18(आई–3)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2011 / 5389- 5702 दिनांक: 12-10-11

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए., राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
6. मुख्य लेखाधिकारी, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशासन / एमआईईएस), निदेशालय, जयपुर
8. उपनिदेशक(आईडब्ल्यूएमपी / जीविकोपार्जन / गुनिस / प्रशिक्षण / कृषि / ग्रामीण विकास / एनडब्ल्यूडीपी / प्रशासन) निदेशालय, जयपुर।
9. समस्त परियोजना प्रबन्धक, वाटरशैड कम डाटा सेन्टर एवं अधिशाषी अभियन्ता (भू संसाधन), जिला परिषद,
10. समस्त लेखाधिकारी जिला परिषद
11. सहायक अभियन्ता, सम्बंधित पंचायत समिति।
12. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेब साईट पर अपलोड करे एवं सभी जिलों में परियोजना प्रबंधको को ई–मेल करना सुनिश्चित करे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एस.एल.एन.ए. एवं निदेशक